OK

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

शिवाजी नगर जोन–04

क्र./शि.न./रा.वि./जोन–4/2026/79 भिलाई दिनांक – 05/06/2026

//अंतिम सूचना पत्र//

प्रति,

श्री उत्पल घोष,
संचालक–सोनार बंगला (मो.नं.–7999770289)
ग्रुप–'ए' भुखण्ड क्र.–2 के पूर्व दिशा, नंदिनी रोड खुर्सीपार भिलाई

विषय :– अवैध कब्जा हटाये जाने के संबंध मे।

संदर्भ :–
1. सचिव नगरीय प्रशासन का पत्र जावक क्र. 643, दिनांक–04.06.2026 (समय सीमा पत्र क्र.–109)
2. सुशासन तिहार आवेदन क्र.–257701287000001 दिनांक–09.05.2025
3. सार्थ–ई आवेदन क्र. DRG-C-7014 दिनांक–07.05.2025
4. क्र./रा.वि./जोन 04/2025/234, भिलाई दिनांक–21.11.2024
5. क्र./रा.वि./जोन 04/2025/258, भिलाई दिनांक–11.12.2024
6. क्र./रा.वि./जोन 04/2025/318, भिलाई दिनांक–03.01.2025
7. क्र./रा.वि./जोन 04/2025/386, भिलाई दिनांक–31.01.2025
8. क्र./रा.वि./जोन 04/2025/164, भिलाई दिनांक–22.05.2025
9. आपका आवेदन दिनांक–02.06.2025

—0—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि, **नंदिनी रोड ग्रुप–'ए' भुखण्ड क्र.–2 के पूर्व दिशा** पर आवागमन बाधित कर व्यवसाय संचालन किये जाने की शिकायत के संबंध में आपको संदर्भित कार्यालयीन सूचना पत्र प्रेषित कर उक्त प्रश्नाधीन स्थल का भू–स्वामित्व दस्तावेज सहित अपना पक्ष रखने सूचित किया गया था। आपके द्वारा उक्त स्थल का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया अपितु दिनांक–02.06.2025 को आवेदन प्रस्तुत कर आवेदक श्री विक्रम सिंह मक्कर की भूमि की जांच पड़ताल व नापजोख पश्चात नोटिस भेजे जाने व दुकान क्र.–2 का आवागमन बाधित नहीं किये जाने की जानकारी दी गई है।

तत्संबंध में उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका स्थल निरीक्षण किया गया। प्रश्नाधीन स्थल नंदिनी रोड ग्रुप–'ए' भुखण्ड क्र.–2 (आबंटित व पंजीकृत भूखण्ड) के पूर्व दिशा आवागमन मार्ग बाधित/कब्जा कर आपके द्वारा दुकान का संचालन किया जा रहा है। मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा संरचना के विध्वंस मामले में पारित निर्णय दिनांक–13.112024 का पालन करते हुए उक्त स्थल पर किए गए अवैध निर्माण को स्वयं से हटाकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किये जाने बारंबार सूचना पत्र दिया गया था। किन्तु आपके द्वारा आज पर्यन्त तक उक्त अवैध निर्माण/कब्जा को नहीं हटाया गया है, न ही कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त अवैध निर्माण/कब्जा को 24 घंटे के भीतर स्वयं से हटाकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 322 में निहित प्रावधानों के तहत नियमानुसार अवैध निर्माण/कब्जा बेदखली की कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपके स्वयं की होगी।

(आयुक्त महोदय के आदेशानुसार)

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर जोन–04
नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ.क्र./शि.न./रा.वि./जोन–4/2026/80 भिलाई, दिनांक – 05/06/2026

प्रतिलिपि :–
1. आयुक्त महो., नगर पालिक निगम, भिलाई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आवेदक श्री विक्रमजीत सिंह मक्कर, आ. हरजीत सिंह, नंदिनी रोड वार्ड–38 को सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर, को नगर पालिक निगम, भिलाई की वेबसाईट में नोटिस अपलोड किये जाने पालनार्थ।

जोन आयुक्त
शिवाजी नगर जोन–04
नगर पालिक निगम, भिलाई